

विधान सभा कार्य

परम अग्रता

क्रमांक 1/9/2009-1सं0 का0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।
2. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
3. सभी बोर्डों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा ।

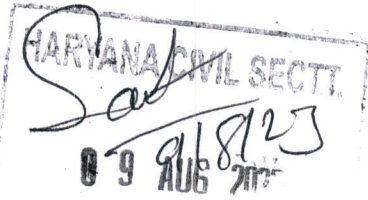
दिनांक चण्डीगढ़ 09.08.2023

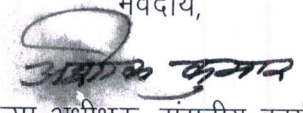
विषय:-

हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थित रहने व दौरे पर न जाने बारे ।

महोदय/महोदया,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 25 अगस्त, 2023 को प्रातः 11.00 बजे हरियाणा विधान सभा के हाल में बुलाया गया है । अतः अधिवेशन की तैयारी के लिये तथा अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये । कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर न जाए और यदि अवकाश स्वीकृत करना अति आवश्यक हो तो केवल अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत ही स्वीकृत किया जाये । यह भी सुनिश्चित किया जाये कि हरियाणा विधान सभा के अधिवेशन सम्बन्धी कार्य की तैयारी एवं अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये अधिकारी/कर्मचारी (केवल अपरिहार्य कारणों को छोड़ कर) दौरे पर न जायें तथा अपने मुख्यालयों पर ही रहें ।



भवदीय,

उप अधीक्षक, संसदीय कार्य
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।
